रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03122025-268208
CG-DL-E-03122025-268208

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5370] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 2, 2025/अग्रहायण 11, 1947
No. 5370] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 2, 2025/AGRAHAYANA 11, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5558(अ).— जबकि मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, आवेदक जिसका पंजीकृत कार्यालय एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत में है, ने गुजरात के कच्छ में मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के प्रस्तावित 350 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन योजना में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी फाइल संख्या 25-17/14/2024-पीजी दिनांक 04 मार्च 2024 के तहत गुजरात के कच्छ में मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के प्रस्तावित 350 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन योजना में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के तहत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों द टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी में) दिनांक 05.12.2024, चंचल (हिंदी में) दिनांक 04.12.2024, और गुजरात समाचार (गुजराती में) दिनांक 04.12.2024, और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 18.01.2025 में प्रकाशन की तारीख से दो महीनों के भीतर आम जनता से अवलोकन/ अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था । इसके बाद, मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने दिनांक 12.09.2025 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया है जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दो महीने के भीतर कोई अवलोकन/ अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटे के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उन्हें वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ लाइन्स के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइन्स और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन्स शामिल हैं।

- एनटीपीसी आरईएल (ग्राम समंडा, तालुका अबडासा, जिला कच्छ, गुजरात में स्थित उत्पादन स्विचयार्ड) से भुज-II पीएस 220 केवी एस/सी लाइन (डी/सी टावर पर)

  इस योजना के अंतर्गत ओवरहेड पारेषण लाइन राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

अनुक्रमांक	**ग्राम का नाम**	**तहसील**	**जिला**	**राज्य**
I	जड़ोदर, कोटडा	नखत्राणा	कच्छ	गुजरात
II	समंडा	अबडासा	कच्छ	गुजरात

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

vii. अगर उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ हिस्सा) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) के मामले में याचिका सं. 2019 के नं. 838 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बारे में गठित टेक्निकल/एक्सपर्ट कमेटी के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा.

[फा. सं. 25-16/68/2025-पीजी]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 1st December, 2025

S.O. 5558(E).— Whereas M/s NTPC Renewable Energy Limited, the applicant with its registered office at NTPC Bhawan, SCOPE Complex 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003, India, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme for providing connectivity to M/s NTPC Renewable Energy Limited for its proposed 350 MW Wind Project in Kutch, Gujarat.

And whereas, Central Electricity Authority (CEA), Ministry of Power, Government of India vide its File No. 25-17/14/2024-PG dated 04th March 2024 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme for providing connectivity to M/s NTPC Renewable Energy Limited for its proposed 350 MW Wind Project in Kutch, Gujarat.

M/s NTPC Renewable Energy Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers The Times Of India (in English) dated 05.12.2024 & Chanchal (in Hindi) dated 04.12.2024 & Gujarat Samachar (In Gujarati) dated 04.12.2024, and in Weekly Gazette of India dated 18.01.2025 for the general public to make observations/ representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s NTPC Renewable Energy Limited has submitted an affidavit dated 12.09.2025 declaring that no observation/ representation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of overhead transmission line for M/s NTPC Renewable Energy Limited. The following overhead transmission line is covered under this scheme:

- NTPC REL (generation switchyard located in Village Samanda, Taluka Abdasa, District Kutch, Gujarat) – Bhuj-II PS 220 kV S/c line (on D/c tower)

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities in the state of Gujarat:

S.No.	Villages	Tehsil	District	State
I	Jadodar, Kotda	Nakhatrana	Kutch	Gujarat
II	Samanda	Abadasa	Kutch	Gujarat

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s NTPC Renewable Energy Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s NTPC Renewable Energy Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical/expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/68/2025-PG]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.12.03 22:44:25 +05'30'